



2026:AHC:181301

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 6792 of 2025

Vikram Mehta

.....Applicant(s)

Versus

State of U.P. and Another

.....Opposite
Party(s)

Counsel for Applicant(s) : Rakesh Kumar Gupta, Yaduvir Singh
Counsel for Opposite Party(s) : G.A.

Court No. - 75

HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

1. वर्तमान आवेदन पत्र आवेदकगण की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 528 के अंतर्गत मु०अ०सं० 54/2013, अंतर्गत धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना फजल गंज, जिला कानपुर नगर से उद्भूत विशेष दाण्डिक वाद सं० 29/14, जो अपर जिला न्यायाधीश-10, कानपुर नगर के न्यायालय में लंबित है, में निर्गतनिर्गत गैर-जमानतीय वारंट (NBW), दिनांक 26.09.2022 से अब तक को तथा इस वाद संपूर्ण कार्यवाही को अभिखण्डित करने हेतु योजित किया गया है।

2. आवेदकगण के विद्वान मूल अधिवक्ता श्री राकेश कुमार गुप्ता के स्थान पर उनकी सहयोगी विद्वान अधिवक्ता सुश्री ज्योति ठाकुर एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को विस्तार से सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्यों एवं कानूनी प्रावधानों का सम्यक् परिशीलन किया गया।

3. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदकों को वर्तमान प्रकरण में मिथ्या रूप से फँसाया गया है, क्योंकि आवेदकगण गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं तथा पुलिस अधिकारियों द्वारा दुर्भावनावश उन्हें झूठा अभियुक्त बनाया गया है। आवेदकगण न तो किसी गिरोह के सरगना हैं और न ही किसी गिरोह के सदस्य हैं। यहां उल्लेखनीय तथ्य है कि उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के अनुसार “गैंग” से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों के समूह से है, जो अकेले अथवा सामूहिक रूप से हिंसा, हिंसा की धमकी, भयादोहन, दबाव अथवा अन्य किसी माध्यम से लोक व्यवस्था भंग करने या अपने अथवा अन्य किसी व्यक्ति के लिए अनुचित लौकिक, आर्थिक, भौतिक अथवा अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से समाज विरोधी गतिविधियों में संलग्न हों। जबकि इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट केवल धारा 3(1) गैंगस्टर अधिनियम के तहत दर्ज की गई है। इसमें धारा 2(b) की उस विशिष्ट उप-धारा का उल्लेख नहीं किया गया है, जिसके अंतर्गत

आवेदकगण के कृत्यों को 'समाज विरोधी गतिविधि' माना गया हो। विवेक एवं विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने न्यायिक विवेक (Judicial Mind) का प्रयोग किए बिना यांत्रिक तरीके से आरोप पत्र स्वीकार कर कार्यवाही संचालित की। तत्पश्चात्, विद्वान संबंधित विचारण न्यायालय ने दिनांक 21.03.2014 को संज्ञान लिया एवं मामला दर्ज किया तथा आगे नियत तिथि पर मामले को अपने समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। विद्वान विचारण न्यायालय ने मामला दर्ज करने के पश्चात् आवेदक के विरुद्ध दिनांक 21.03.2014 से 28.10.2024 तक की आदेशिका (ऑर्डर शीट) तैयार की। तत्पश्चात्, अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक के विरुद्ध दिनांक 26.09.2022 से अब तक गैर-जमानती वारंट (एन.बी.डब्ल्यू.) जारी किया, किंतु उल्लेखनीय तथ्य यह है कि आवेदक वर्ष 2019 से अब तक गंभीर रूप से बीमार (पैरालिसिस/लकवा का अटैक) था, जिले के संबंधित चिकित्सक द्वारा उसका निरंतर उपचार चल रहा था, और जिले के संबंधित चिकित्सक ने आवेदक को पूर्णतः बेड रेस्ट (बिस्तर पर आराम) की सलाह दी थी। तत्पश्चात् जिले के संबंधित चिकित्सक ने दिनांक 26.01.2020 से 23.09.2024 तक के पर्चे (प्रिस्क्रिप्शन) तैयार किए। जिले के संबंधित चिकित्सक द्वारा दिनांक 26.01.2020 से 23.09.2024 तक तैयार किए गए पर्चों की फोटोप्रति सामूहिक रूप से इस शपथ पत्र के अनुबंध संख्या-13 के रूप में संलग्न कर प्रस्तुत की जा रही है। फोटोग्राफर द्वारा उस तिथि को आवेदक के घर पर बिस्तर पर रहते हुए उसका फोटोग्राफ लिया गया। आगे यह भी कहा गया कि वर्तमान मामले में, धारा 3(1) केवल गैंगस्टर के लिए दंड का प्रावधान करती है, जबकि धारा 2(b) एवं 2(c) यह परिभाषित करती है कि किन विशिष्ट असामाजिक गतिविधियों (Anti-social activities) के आधार पर किसी व्यक्ति को "गैंगस्टर" के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। किसी व्यक्ति पर विशिष्ट उप-धारा (Clause) या असामाजिक कृत्य का उल्लेख किए बिना केवल धारा 3(1) के तहत प्राथमिकी दर्ज करना विधि के प्रतिकूल और अवैध है तथा उसके द्वारा कारित (किए गए) उस अपराध को निर्दिष्ट किए बिना दंडित नहीं किया जा सकता, जो गैंगस्टर के रूप में उसके वर्गीकरण को न्यायोचित ठहराता हो। पूर्वोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय का यह मत है कि आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट, अधिनियम की प्रासंगिक धारा का उल्लेख करने में विफल रहने के कारण, गैंगस्टर अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल है और अवैध है। यहां अति प्रासंगिक तथ्य यह है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट केवल उत्तर प्रदेश गिरोहबंद अधिनियम की धारा 3(1) के अंतर्गत है और दाखिल किया गया आरोप पत्र भी इसी प्रकार है; संपूर्ण आरोप पत्र या विवादित सम्मन आदेश में विवेक का प्रयोग नहीं किया गया है कि अधिनियम की धारा 2 की किस उप-धारा के तहत, जो अपराध को परिभाषित करती है, आवेदक को श्रेणीबद्ध किया गया है। उक्त मुद्दे का निर्णय इस माननीय न्यायालय की खंडपीठ द्वारा **आसिम उर्फ हासिम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य** के मामलों में किया गया है, जहाँ यह अभिनिर्धारित किया गया है कि :-

"4. After hearing learned counsel for the parties and on perusal

of the record, this Court finds that the impugned F.I.R. has been registered u/s 3(1) Gangsters Act. This Section provides punishment for gangsters. However, Section 2 of Gangsters Act provides anti social activities which form the basis for classifying a person as a gangster. Section 2(b) defines "gang" and Section 2(c) defines "gangster". The definition of "gangster", mentioned in Section 2(c) clearly mentions that the person to be named as gangster must be involved in activities enumerated in Clause (b) of Section 2 of Gangsters Act. Section 2(b), 2(c) and 3 of Gangsters Act are being reproduced as under:-

"2(b). "Gang" means a group of persons, who acting either singly or collectively, by violence, or threat or show of violence, or intimidation, or coercion or otherwise with the object of disturbing public order or of gaining any undue temporal, pecuniary, material or other advantage for himself or any other person, indulge in anti-social activities, namely-

- (i) offences punishable under Chapter XVI or Chapter XVII or Chapter XXII of the Indian Penal Code (Act No. 45 of 1860),*
- or*
- (ii) distilling or manufacturing or storing or transporting or importing or exporting or selling or distributing any liquor, or intoxicating or dangerous drugs, or other intoxicants or narcotics or cultivating any plant, in contravention of any of the provisions of the U.P. Excise Act, 1910 (U.P. Act No. 4 of 1910), or the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (Act No. 61 of 1985), or any other law for the time being in force, or*
- (iii) occupying or taking possession of immovable property otherwise than in accordance with law, or setting-up false claims for title or possession of immovable property whether in himself or any other person, or*
- (iv) preventing or attempting to prevent any public servant or any witness from discharging his lawful duties, or*
- (v) offences punishable under the Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act, 1956 (Act No. 104 of 1956),*
- or*
- (vi) offences punishable under Section 3 of the Public*

Gambling Act, 1867 (Act No. 3 of 1867), or

(vii) preventing any person from offering bids in auction lawfully conducted, or tender, lawfully invited, by or on behalf of any Government department, local body or public or private undertaking, for any lease or rights or supply of goods or work to be done, or

(viii) preventing or disturbing the smooth running by any person of his lawful business, profession, trade or employment or any other lawful activity connected therewith, or

(ix) offences punishable under Section 171-E of the Indian Penal Code (Act No. 45 of 1860), or in preventing or obstructing any public election being lawfully held, by physically preventing the voter from exercising his electoral rights, or

(x) inciting others to resort to violence to disturb communal harmony, or

(xi) creating panic, alarm or terror in public, or

(xii) terrorising or assaulting employees or owners or occupiers of public or private undertakings or factories and causing mischief in respect of their properties, or

(xiii) inducing or attempting to induce any person to go to foreign countries on false representation that any employment, trade or profession shall be provided to him in such foreign country, or

(xiv) kidnapping or abducting any person with intent to extort ransom, or

(xiv) kidnapping or abducting any person with intent to extort ransom, or

(xv) diverting or otherwise preventing any aircraft or public transport vehicle from following its scheduled course;

[(xvi) offences punishable under the Regulation of Money Lending Act, 1976;

(xvii) illegally transporting and/or smuggling of cattle and indulging in acts in contravention of the provisions in the Prevention of Cow Slaughter Act, 1955 and the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960;

(xviii) *human trafficking for purposes of commercial exploitation, bonded labour, child labour, sexual exploitation, organ removing and trafficking, beggary and the like activities.*

(xix) *offences punishable under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1966:*

(xx) *printing, transporting and circulating of fake Indian currency notes;*

(xxi) *involving in production, sale and distribution of spurious drugs;*

(xxii) *involving in manufacture, sale and transportation of arms and ammunition in contravention of Sections 5, 7 and 12 of the Arms Act, 1959;*

(xxiii) *felling or killing for economic gains, smuggling of products in contravention of the Indian Forest Act, 1927 and Wildlife Protection Act, 1972;*

(xxiv) *offences punishable under the Entertainment and Betting Tax Act, 1979;*

(xv) *indulging in crimes that impact security of State, public order and even tempo of life.]*

2(c). *"gangster" means a member or leader or organiser of a gang and includes any person who abets or assists in the activities of a gang enumerated in clause (b), whether before or after the commission of such activities or harbours any person who has indulged in such activities;*

3. Penalty. - (1) *A gangster, shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than two years and which may extend to ten years and also with fine which shall not be less than five thousand rupees:*

Provided that a gangster who commits an offence against the person of a public servant or the person of a member of the family of a public servant shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than three years and also with fine which shall not be less than five thousand rupees.

(2) *Whoever being a public servant renders any illegal help or support in any manner to a gangster, whether before or after the commission of any*

offence by the gangster (whether by himself or through others) or abstains from taking lawful measures or intentionally avoids to carry out the directions of any Court or of his superior officers, in this respect, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years but shall not be less than three years and also with fine."

5. From the provisions, quoted as above as well as from the perusal of other provisions of Gangsters Act, it is clear that a person can be prosecuted under Section 3 of Gangsters Act only after he falls under the definition of "gangster" being part of the gang which is involved in anti social activities as mentioned in Section 2(b)(i) to (xxv) of the Act. The purpose of making special provisions of Gangsters Act for dealing with gangsters and for preventing their anti social activities. The provision of this Act are stringent and are therefore required to be interpreted strictly so as to prevent their misuse on the part of State authorities.

9. In the present case, the impugned F.I.R. was registered u/s 3(1) Gangsters Act, without mentioning the corresponding provision, mentioning the anti social activities in which the accused is involved and on the basis of which he was named as gangster. A person cannot be punished without specifying the offence committed by him which would justify his classification as a Gangster.

यद्यपि, उक्त मुद्दा इस माननीय न्यायालय के ध्यान में एक बड़ी पीठ (Larger Bench) के संदर्भ के माध्यम से भी आ रहा है, जिसे धर्मेन्द्र उर्फ भीमा एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व 4 अन्य (क्रिमिनल मिसलेनियस रिट पिटीशन संख्या 1049/2024) के मामलों में दिनांक 04.03.2024 के आदेश द्वारा संदर्भित किया गया है:-

"विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि बड़ी पीठ को केवल संदर्भ (reference) मात्र देने से संदर्भित निर्णय द्वारा प्रतिपादित प्रस्थापना (proposition) कमज़ोर नहीं हो जाती है। अतः, आसिम उर्फ हासिम (उपरोक्त) के मामले में जारी किए गए दिशा-निर्देश कि— "धारा 2(ख) के संगत प्रावधानों का उल्लेख किए बिना गिरोहबंद अधिनियम की धारा 3(1) के तहत दर्ज एफ.आई.आर. अवैध है"— तब तक प्रभावी रहेंगे जब तक कि संदर्भ का निर्णय नहीं हो जाता।"

उपर्युक्त तथ्यों से परिलक्षित है कि आवेदकगण के विरुद्ध धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत कोई अपराध प्रथमदृष्टया सिद्ध नहीं होता है तथा यह वाद विधि की दृष्टि में अस्थिर एवं असंगत है। अतः वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं इस वाद की संपूर्ण कार्यवाही अभिखण्डित किये जाने योग्य है।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदन पत्र का विरोध किया, किंतु पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं आवेदकगण द्वारा उठाए गए विधिक बिंदुओं का कोई संतोषजनक खंडन प्रस्तुत नहीं कर सके।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं प्रश्नगत आदेश का परिशीलन किया।

6. इस स्तर पर, यहा प्रासंगिक है कि वर्तमान मामले में, आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट गैंगस्टर अधिनियम की धारा 3(1) के अंतर्गत, संबंधित प्रावधान का उल्लेख किए बिना तथा उन असामाजिक गतिविधियों को निर्दिष्ट किए बिना दर्ज की गई थी, जिनमें अभियुक्त संलिप्त है और जिनके आधार पर उसे गैंगस्टर के रूप में नामित किया गया था। किसी भी व्यक्ति को उसके द्वारा कारित किए गए, उस अपराध को निर्दिष्ट किए बिना दंडित नहीं किया जा सकता, जो गैंगस्टर के रूप में उसके वर्गीकरण को न्यायोचित ठहराता हो। **आसिम उर्फ हासिम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा धर्मेन्द्र उर्फ भीमा एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व 4 अन्य** (क्रिमिनल मिसलेनियस रिट पिटीशन संख्या 1049/2024) के मामले में अभिनिर्धारित पूर्वोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय का यह मत है कि आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट, अधिनियम की प्रासंगिक धारा का उल्लेख करने में विफल रहने के कारण, गैंगस्टर अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल है और अवैध है। इसलिए, यह आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

7. तदनुसार, धारा 482 द०प्र०सं० के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आवेदकगण के विरुद्ध निर्गत गैर-जमानतीय अधिपत्र (NBW) दिनांकित 26.09.2022 से अब तक तथा उक्त वाद की संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को **अभिखण्डित (Quash)** किया जाता है।

8. प्रश्नगत प्रकरण में यदि कोई अन्तरिम आदेश हो तो उसे समाप्त समझा जाय।

9. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रतिलिपि संबंधित न्यायालय को अविलम्ब भेजना सुनिश्चित करे।

(Dr. Gautam Chowdhary, J.)

August 31, 2026

CP.sahani